न्यायालय:—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म०प्र०) (पीठासीन अधिकारी—धन कुमार कुड़ोपा)

<u>दांडिक0 प्रक0 क0-908/14</u> संस्थापित दि0 24/11/14 फाईलिंग नं. 233504002562014

मध्य प्रदेश शासन द्धारा आरक्षी केन्द्र, थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

____<u>अभियोजन</u>

—ः <u>विरूद्ध</u>ः—

मनोज पिता डेबू उईके, उम्र 26 वर्ष, जाति गोंड, पेशा मजदूरी, नि०ग्राम चुटकी, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

--- <u>अभियुक्त</u>

<u>—: **निर्णय**ः—</u> (आज दिनांक 17 / 12 / 2016 को घोषित)

- 1— अभियुक्त के विरूद्ध भा०दं०वि० की धारा 498 ''ए'' एवं दहेज प्रतिशेद्य अधिनियम की धारा—4 के तहत् अभियोग है कि आपने जून 2014 से लगातार एक माह पहले तक फरियादी की ससुराल ग्राम चुटकी थाना आमला जिला बैतूल म०प्र० के अंतर्गत श्रीमित सोनीबाई जो कि आप अभियुक्त की पत्नी है, उसके साथ कुरता की। आपने फरियादी से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज में पचास हजार रूपये तथा मोटर सायकिल मांगने के लिए शस्ति कर दुष्प्रेरित किया।
- 2— दिनांक 17/12/16 को फरियादी सोनीबाई उर्फ सोनम और आरोपी के मध्य राजीनामा होने से राजीनामा आवेदन पत्र पेश किया गया। धारा 498 ''ए'' एवं दहेज प्रतिशेद्य अधिनियम की धारा—4 राजीनामा योग्य न होने से आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
- 3— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि शादी के करीब एक माह तक उसके पित मनोज ने ठीक ढंग से रखा शादी के एक माह बाद से उसका पित मनोज दहेज कम देने तथा दहेज में पचास हजार रूपये नगद तथा मोटरसाईकिल की मांग करने लगा तथा उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित करने लगा। यह बात जब भी मायके आती तो घर में उसके माता पिता को बताती थी तो घर वाले समझाकर उसे चुटकी भेज देते थे। आज से एक माह पहले उसके पित ने दहेज की मांग को लेकर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित कर घर से भगा दिया तथा बोला कि दहेज में 50 हजार रूपये तथा मोटर साईकिल लेकर आना तो वह मायका आकर उसके माता पिता को बताई, फिर उसके माता पिता ने उसके पित को काफी समझाया। किन्तु नहीं माना तथा दहेज की मांग की पूर्ति करने पर रखने की बात करता है। उसका पित दहेज की मांग की पूर्ति नहीं करने पर उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित करते चला आ रहा है।
- 4— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी० 1 है जिसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्व अपराध क्रमांक 910 / 14 भा.द.सं धारा—498 ''ए'' एवं दहेज प्रतिशेध अधिनियम की धारा

3/4 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 02/11/14 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी. 2 तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

5— अभियुक्त के विरूद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया। 6— : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :--

1—''क्या आपने जून 2014 से लगातार एक माह पहले तक फरियादी की ससुराल ग्राम चुटकी थाना आमला जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत श्रीमित सोनीबाई जो कि आप अभियुक्त की पत्नी है, उसके साथ क़ुरता की?''

2— '' उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादी से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज में पचास हजार रूपये तथा मोटर सायकिल मांगने के लिए शस्ति कर दुष्प्रेरित किया?''

-: <u>निष्कर्ष एवं उसके आधार</u>:-विचारणीय प्रश्न क0 1, 2 का निराकरण

7— सुविधा की दृष्टि से विचारणीय प्रश्न कं. 1, 2 का निराकरण साथ में किया जा रहा है। क्योंकि प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हों।

8— अभियोजन साक्षी सोनी उर्फ सोनम (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि शादी के बाद घरेलु बातों को लेकर उसके पित से उसका वाद विवाद होता था। आरोपी ने दहेज के लिए परेशान नहीं किया था। उसने गुस्से में आकर घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना आमला में की थी जो प्र0पी0 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उससे शादी का कार्ड जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी0 2 तैयार किया था जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर है। शासन की ओर से पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न में इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपी उससे कम दहेज लाने की बात को लेकर परेशान करता था उससे 50 हजार रूपये नगद एवं मोटर साईकिल की मांग करता था तथा इसी मांग को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करता था। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 का बी से बी भाग एवं पुलिस कथन प्र0पी0 3 का ए से ए भाग लेख करवाई थी। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि उसका उसके पित से राजीनामा हो गया है और उसने उससे तलाक ले लिया है।

9— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि आरोपी ने उससे दहेज की मांग नहीं की थी। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया था। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्यपरीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त के द्वारा उसके साथ मानसिक व शारीरिक व रूप से प्रताडित कर कुरता की हो और उससे प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज में पचास हजार रूपये तथा मोटर सायिकल मांगने के लिए शस्ति कर दृष्प्रेरित किया हो, का समर्थन नहीं किया। इस प्रकार इस गवाह

की साक्ष्य से मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा0दं0वि० की धारा ४९८ ''ए'' एवं दहेज प्रतिषेद्य अधिनियम की धारा—४ के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

- 10— अभियोजन साक्षी सुनिताबाई (अ०सा०२) ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।
- 11— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर कुरता कारित की। उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज में पचास हजार रूपये तथा मोटर सायकिल मांगने के लिए शस्ति कर दुष्प्रेरित किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1 व 2 का निराकरण ''अप्रमाणित'' रूप से किया जाता है।
- 12— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्धारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को शारिरीक व मानसिक रूप से प्रताडित कर कुरता कारित की। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्धारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह भी प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी से प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से दहेज में पचास हजार रूपये तथा मोटर सायिकल मांगने के लिए शस्ति कर दुष्प्रेरित किया। इस प्रकार अभियुक्त मनोज को भा0द0वि0 की धारा—498 "ए" एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा— 4 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 13— अभियुक्त के धारा—313 द0प्र0स0 के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।
- 14— प्रकरण में जप्त शुदा सामाग्री शादी का कार्ड मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का निर्णय/आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैत्ल म0प्र0 (धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0